

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-27.08.2026

थाना कोतवाली पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा “साइबर अपराध पर Zero Tolerance नीति” के तहत भोले-भाले लोगों को लोन देने के नाम पर उनके मोबाइल फोन की गैलरी व कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस प्राप्त कर अश्लील फोटो बनाकर फर्जी सिम के माध्यम से वायरल करने की धमकी देकर धन उगाही करने वाले अन्तर्राज्यीय साइबर अपराध के गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 07 मोबाइल फोन, 07 नये फर्जी सिम कार्ड व 03 मोटरसाइकिल किया गया बरामद-

थाना कोतवाली पुलिस टीम व साइबर सेल टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में “साइबर अपराध पर Zero Tolerance नीति” के तहत साइबर अपराध की रोकथाम व प्रतिबिम्ब पोर्टल की जांच के क्रम में मुखबीर खास द्वारा प्राप्त सूचना पर दिनांक-27.08.2026 को भोले-भाले लोगों को लोन देने के नाम पर उनके मोबाइल फोन की गैलरी व कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस प्राप्त कर अश्लील फोटो बनाकर फर्जी सिम के माध्यम से वायरल करने की धमकी देकर धन उगाही करने वाले अन्तर्राज्यीय साइबर अपराध के गिरोह के 04 सदस्यों यथा क्रमश-1- निखिल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह, 2- गौरव सिंह पुत्र श्री शिवकुमार सिंह, 3- अफरोज पुत्र मुहम्मद जहिर, 4- प्रद्युम्न चौरसिया पुत्र शिवपूजन को धोबी घाट अमहट से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 07 अदद मोबाइल फोन, 07 अदद नये फर्जी सिम कार्ड व 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-372/2026 धारा-318(4), 319(2), 308(2), 351(2), 61(2) BNS व धारा-66C, 66D IT Act व धारा-42(3)-ई टेलीकम्युनिकेशन एक्ट-2023 पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1- निखिल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मनिकारपुर थाना हरैया जनपद बस्ती।
- 2- गौरव सिंह पुत्र श्री शिवकुमार सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम पिकौरा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
- 3- अफरोज पुत्र मुहम्मद जहिर उम्र 19 वर्ष निवासी पिकौरा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
- 4- प्रद्युम्न चौरसिया पुत्र शिवपूजन उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कलवारी मुस्तकहम जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण -

- 1- तीन मोटरसाइकिल यथा 1A-पल्सर बाइक गाड़ी संख्या-UP51BQ8474, 1B-Hero Deluxe गाड़ी संख्या-UP51BR7661 व 1C-Hero Deluxe गाड़ी संख्या-UP58AE1192।
- 2- सात मोबाइल फोन यथा 2A-दो आईफोन, 2B-एक वीवो फोन, 2C-एक I Qoo, 2D-दो सैमसंग व 2E- एक Nothing Phone।
- 3- सात नये सिमकार्ड (वोडाफोन कम्पनी)।

मॉडस आपरैण्डी-

अभियुक्तगण द्वारा मुख्यतः Whatsapp व Telegram के माध्यम से आसान तरीके से लोन देने का लिंक भेज कर उनके मोबाइल फोन की गैलरी व कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस प्राप्त कर अश्लील फोटो बनाने के उपरांत फर्जी सिम के माध्यम से वायरल करने की धमकी देकर धन उगाही करते हैं, जिसके संबंध में किये गए अब तक की जांच से महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, आन्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में NCRP पोर्टल पर कुल 12 शिकायतें दर्ज करायी जा चुकी हैं, जहां सभी शिकायतों में लोन के नाम पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन रुपये 35,725/- की वसूली की गयी है एवं उपरोक्त सभी शिकायतों में प्रयुक्त मोबाइल नम्बर, **सिम विक्रेता 4-प्रद्युम्न चौरसिया** द्वारा उपलब्ध कराया गया है। पुलिस टीम द्वारा बरामद सभी मोबाइल का प्रयोग साइबर ठगी में अभियुक्तगण द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा बताया गया है कि अब तक हम लोगों के गिरोह द्वारा 12-15 लाख रूपयों तक की जबरन वसूली की जा चुकी है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि काफी समय से हम लोग फर्जी सिम का प्रयोग करके साइबर अपराध करते हैं। हम लोग फोन करके लोगों को लोन देने के नाम पर उनके फोन की गैलरी व कान्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेकर पिक्सआर्ट ऐप के माध्यम से उनकी फोटो को एडिट करके अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी देकर रूपयों की जबरन वसूली करते हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिये किसी दूसरे के नाम-पते के फर्जी सिम का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग पकड़े न जायें। जब हम लोग एक सिम नम्बर से साइबर अपराध करते हैं तब उस पर शिकायत होने के कारण सिम बन्द हो जाता है इसलिये हम लोगों को बहुत अधिक सिमकार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आज भी हम लोग फर्जी सिम खरीदने के लिये ही यहां आये थे, जहां हम लोगों का साथी **सिम विक्रेता 4-प्रद्युम्न चौरसिया** हम लोगों को यहां पर सिम देने के लिये बुलाया था, जोकि पहले भी हम लोगों ने 30 से 40 सिमकार्ड बेच चुका है, जिसके लिए हम लोग उसे मुंह मांगा दाम देते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बृजानन्द सिंह जनपद बस्ती।
- 2- प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 शेषनाथ गोंड जनपद बस्ती।
- 3- उ0नि0 सुरेन्द्र प्रसाद थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
- 4- उ0नि0 जावेद खान साइबर क्राइम थाना जनपद बस्ती।
- 5- हे0का0 अभिषेक कुमार त्रिपाठी, का0 गौरव यादव, का0 घनश्याम यादव साइबर सेल जनपद बस्ती।
- 6- का0 इशांत कुमार साइबर क्राइम थाना जनपद बस्ती।
- 7- रि0का0 कुंज बिहारी, रि0का0 ऋतिक पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

! आवश्यक सूचना !

जनपद बस्ती पुलिस आमजन से अपील करती है कि आसानी से लोन देने के नाम पर अश्लील चित्र बनाते हुए धनउगाही के उद्देश्य से फोन कॉल या मैसेज भेजने वाले साइबर अपराधियों के झांसे में न आयें एवं उक्त की सूचना तत्काल साइबर सेल को प्रदान करें। साइबर ठगी हो जाने पर तत्काल 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करायें। बस्ती पुलिस साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है।

“साइबर जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव है”

